26. सागरमल पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवासी 5 ई छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
27. रेणु गुप्ता पत्नी दिनेश गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 14 श्रीराम कॉलोनी तह0 व जिला श्री गंगानगर ।
28. विमला देवी पत्नी द्वारका प्रसाद जाति महाजन निवासी 5 ई छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।
29. राजीवलीला पुत्र द्वारका प्रसाद जाति महाजन निवासी 5 ई छोटी तह० व जिला श्रीगंगानगर ।
30. रजनलीला पुत्र द्वारका प्रसाद जाति महाजन निवासी 5 ई छोटी तह0 व श्रीगंगानगर ।
31. प्रबंधक एच डी एफ सी बैंक शाखा अबोहर (पंजाब) ।
32. सचिव नगर विकास न्यास श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राज. भू–राजस्व अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाष मिढ़ढा
2. श्री जसकरण सिंह औलख — प्रार्थी
3. पैरोकार राज — अप्रार्थी संख्या 32
4. अप्रार्थी संख्या 2 से 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। — अप्रार्थी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 12 के पूर्वज स्व० भगवानाराम पुत्र रामचन्दकुम्हार निवासी 5 ई छोटी द्वारा जरिये तीन बैयनामाजात दिनांक 06.07.60 दिनांक 23.12.63 व 13.03.64 के चक 5 ई छोटी पटवार हल्का 4 एम एल के मु0 न0 32 व 35 में से रकबा खरीद किया जो कि उसके नाम इंतकाल सं0 35 दिनांक 28.10.78 के इंतकाल के खाना न0 10,11 में दर्ज हुआ, इंतकाल की नकल शामिल है, इस प्रकार भगवानाराम खरीदशुदा भूमि जिसका विवरण इंतकाल में दर्ज किया गया है का खातेदार काश्तकार हकदार व काबिज हुआ। भगवानाराम का देहांत दिनांक 13.07.96 को हो गया, भगवानाराम के वारिसान मीरा देवी, अंगूरी देवी, लजो, मनफूल, रामेश्वरी, विमला, माया देवी पुत्र पुत्रीयां भगवानाराम व पार्वती देवी पत्नी स्व0 भागीरथ, निर्मला, सुनीता, शारदा देवी, मोहन पिसरान स्व० भागीरथ जाति कुम्हार निवासीयान 5 ई छोटी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 01.11.12 के मु० न0 35 के कुल 6.213 है0 में से 0.040 है० अर्थात अपने हिस्सा की भूमि को रणवीर सिंह पुत्र भागीरथ पुत्र स्वव भगवानाराम के हक में दस्तबरदार हुए, दस्तबरदारी उपपंजीयक श्री गंगानगर से दिनांक 01.11.12 को तस्दीक की जाकर पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 1132 पृष्ठ सं0 42 क्रम सं0 2012008922 पर पंजीबद्ध की जाकर अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 2015 के पृष्ठसं0 242 से 247 पर चस्पा की गई दस्तबरदारी की नकल शामिल है, इस प्रकार भगवानाराम की उपरोक्त खरीदशुदा भूमि अप्रार्थी सं0 12 रणवीर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2067–77 के खाता सं0 171/111 पर इंतकाल

अधिकारी (राजस्व)
गंगानगर

Scanned with CamScanner

सं0 486/20.11.12 के दर्ज हुई जमाबंदी की नकल शामिल है, इस प्रकार रणवीर सिंह 0.040 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार व काबिज हो गया। रणवीर सिंह 06.16 को प्रार्थी के साथ करके समस्त अई मान की राशि प्राप्त कर फलक मनाहान प्रार्थी के हक में इकरारनामा तहरीर तकमील करवाकर अनिल कुमार बिश्नोई नोटेरी पब्लिक श्रीगंगानगर से तस्दीक करवाया गया, इकरारनामा की नकल शामिल है जिसमें स्पष्ट अंकित करवाया गया है कि कब्जा खरीददार को दे दिया है तथा वह उपरोक्त रकबा को काश्त कर सकेगा, यह भी अंकित करवाया कि रणवीर सिंह का कब्जा नहीं रहा है, खरीददार जब भी कहेगा वह रजिस्ट्री बैनामा करवा देगा। प्रार्थी द्वारा गत माह रणवीर सिंह से आग्रह किया कि वह इकरारनामा की शर्तो की पालना में प्रार्थी के हक में बैनामा करवावे तो उसने स्पष्ट कहा कि उपरोक्त भूमि के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर में कोई केस चलने पर नोटिस आया था तथा उसने वकील करके पैरवी के लिए कह दिया था मगर बाद में कोई पता नहीं चल पाया, इस पर छानबीन करने पर पता चला कि उपरोक्त मुकदमा स्टेट बनाम विनोद कुमार आदि में आदेश पारित किया गया है, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.06.22 को नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की तथा नकल प्राप्त कर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना निम्नलिखित आधारों पर पेश किया जा रहा है:-

(क) यह कि उपरोक्त प्रकरण सं0 836/18 किसी भी प्रकार से धारा 136 एल आर एक्ट की परिभाषा में नहीं आता था, इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य था ।

(ख) यह कि उपरोक्त प्रकरण सन 2018 में पेश किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 12 रणवीर सिंह से उसका खातेदारी रकबा दिनांक 20.06.16 को ही खरीद कर लिया था तथा कब्जा प्राप्त कर लिया था, अतः जिस समय धारा 136 एल आर एक्ट का प्रकरण पेश किया गया, उस रोज चक 6 ई छोटी के खाता सं0 171/111 के मु0 न0 32 के किला न0 15 व 26 में 0.040 है० अर्थात 26 गुणा 90 फीट जिसमें 26 फीट भाग सूरतगढ़ मैन रोड पर खुलता हुआ है का कब्जा प्रार्थी का होने के कारण प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार था मगर ना तो प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया ना ही कब्जा के सम्बंध में तहसीलदार अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट ली गई यदि पटवारी हल्का से कब्जा के सम्बंध में कोई रिपोर्ट ली जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है, इस प्रकार प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार था जिसको पक्षकार बनाकर नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर देना व साक्ष्य का अवसर देना आवश्यक था, इस प्रकार प्रार्थी के हित प्रभावित होने से व रकबा अप्रार्थी सं0 12 के नाम से हटा देने से प्रार्थी संविदा की पालना करवाने से भी वंचित हो गया है, अतः धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

(ग) यह तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा ना तो पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया, यदि सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया होता तो स्पष्ट था कि दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर जो इंतकाल सं0 486/20.11.12 दर्ज हुआ ना ही उसको आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया गया, इस प्रकार बिना इस प्रकार की प्रक्रिया के आदेश जेर बहस पारित किया गया है पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है ।

(घ) यह कि निर्णय दिनांक 19.02.19 का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि अधिकांश अप्रार्थीयान के पते 6 ई छोटी दर्ज किये गये है जबकि सभी 6 ई छोटी के रहने वाले नहीं है, अप्रार्थी सं0 13 ता 17 का कोई पता ही दर्ज नहीं किया

(राजस्व)
गंगानगर

गया केवलमात्र जाति के आगे तहसील व जिला श्री गंगानगर अंकित किया गया है, इस प्रकार बिना पूर्ण पते के तामील होना संभव ही नहीं था जबकि तामील मानकर आदेश पारित किया गया है।

(ड) यह कि धारा 136 एल आर एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तब कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का कोई नोटिस दिया गया हो, इसी प्रकार धारा 85 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 82,83 या 84 के अधीन किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जावेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति था जिसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिल पाया, अतः आदेश दिनांक 19.02.19 पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

(च) यह कि आदेश 47 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार यदि न्यायालय के समक्ष कोई नये तथ्य आते है तो न्यायालय अपने ही आदेश पर पुनर्विचार कर निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, इस प्रकार चूंकि निर्णय से पूर्व ही प्रार्थी भूमि क्रय कर चुका था व कब्जाधारी था, अतः प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार था जिसको ना तो पक्षकार बनाया गया ना बुलाया व सुना गया ना ही अप्रार्थी सं0 12 ने कभी माननीय न्यायालय में उपरोक्त मुकदमा के विचाराधीन होने की कभी कोई सूचना दी, इस प्रकार प्रार्थी के हितों को देखते हुए निर्णय पर पुनर्विचार कर आवश्यक आदेश जारी करना न्यायहित में आवश्यक है वरना प्रार्थी अपने संवैधानिक अधिकारों सम्पति उपयोग के अधिकारों से वंचित होगा ।

(छ) यह कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने चक 5 ई छोटी के खाता सं0 171 की भूमि 6.320 है० अर्थात 5 ई छोटी के मु० न० 35 की 6.213 है0, मु0न0 32 के किला न0 15 की 0.107 हे0 जिन लोगों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है उसके लिए कब्जा के सम्बंध में कोई जांच नहीं की गई कि आया इन लोगों का इस भूमि पर कब्जा भी है अथवा नहीं जबकि उपरोक्त भूमि में से 0.040 है0 पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा उसकी खरीदशुदा है, इस प्रकार कब्जाधारी व खरीददार को उसके हक से वंचित करने का आदेश पारित किया गया है जिस पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

(ज) यह कि जब तक दस्तावेज दस्तबरदारी रजिस्टर्डशुदा को निरस्त नहीं करवाया जाता तथा, इसके आधार पर हुए इंतकाल को निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक कानूनन कोई दुरूस्ती का आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता था क्योकि दस्तबरदारी व इंतकाल के प्रभावशील होने पर प्रार्थी को उसके खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूमि से कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता।

(झ) यह कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने जिन अप्रार्थीयान के खिलाफ कार्यवाही यकतरफा का आदेश पारित किया है उसके लिए कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि इन पर नोटिस की तामील कब किस प्रकार से हुई, आया इनमें सभी जीवित है अथवा किसी की मृत्यु हो चुकी है, इस प्रकार गलत तामील के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 19.02.19 पारित किया गया है, जिस पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

(ग) यह कि जिस रकबा को कम करने का आदेश दिया गया है उस रकबा की स्थिति कब्जा आदि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है, अप्रार्थी सं0 1 ता 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया था मगर उस जवाब के आधार पर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

अन्य वजुहात बवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे जिनके आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र काबिल मंजूरी के है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है । लिहाजा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रकरण सं0 836/18 में बिना कानूनी प्रकिया अपनाये व बिना प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाये, बिना बुलाये सुने प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि अन्य के नाम से गलत तौर से दुरूस्ती का आदेश पारित करते हुए दर्ज करने का आदेश दिया गया, अतः पत्रावली तलब कर साथ लगाकर निर्णय दिनांक 19.02.19 पर पुनर्विचार करते हुए प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने अथवा पूर्व खातेदार के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी साधारण समन से नहीं होने पर वकील वादी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए समाचार पत्र करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 31 की तलबी जरिए समाचार पत्र करवाये जाने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 से 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 32 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 32 का जवाब दावा बंद किया गया।

–:: आदेश ::–

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि अन्य के नाम से गलत तौर से दुरूस्ती का आदेश पारित करते हुए दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पत्रावली तलब कर साथ लगाकर निर्णय दिनांक 19.02.19 पर पुनर्विचार करते हुए प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने अथवा पूर्व खातेदार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावे। **वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।** पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 19.02.2019 के पश्चात् 3 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो कि मियाद बाहर है। प्रार्थी के पास अपील का विकल्प मौजूद है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेज व इकरारनामा दिनांक 20.05.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकरारनामा में खरिदशुदा भूमि कृषि भूमि नहीं होकर प्लॉट है जिसके सम्बन्ध में सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि नहीं है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा इकरारनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। उपरोक्त कारणों से न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधिकारी(राजस्व)

Scanned with CamScanner

(प्रकरण संख्या :- 03/2022
अनवान रामजस साहू बनाम स्टेट)

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner